# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–1(1)नासेके/जविप्रा/2019/डी–101 दिनांक : 19-2-2019.

## कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में जन समस्याओं के त्वरित एवं उनके समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से एक आधुनिक कम्प्यूटीकृत नागरिक सेवा केन्द्र की स्थापना की हुयी है। नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से (1) सहकारी समिति की योजनाओं में नाम प्रतिस्थापन/हस्तांतरण (2) जविप्रा सहकारी समिति एवं निजी खातेदारी की योजनाओं में लीजडीड शुदा भूखण्डों के प्रकरणों में नाम हस्तानान्तरण एवं (3) इन योजनाओं में लीजमुक्ति प्रमाण–पत्र हेतु आम नागरिको से आवेदन पत्र अब तक ऑफलाईन (OFFLINE) स्वीकार किये जाते रहे है। आम नागरिको को नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से उक्त प्रकरणों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑफलाईन (OFFLINE) आवेदन बन्द करते हुये उक्त सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से ऑनलाईन (ONLINE) कर दिया गया है।

अतः इस प्रक्रिया में विकल्प एक के अनुसार आवेदक ऑनलाईन (ONLINE) स्वयं के स्तर पर जविप्रा वेबसाईट http://jda.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन करने के पश्चात नागरिक सेवा केन्द्र पर मूल दस्तावेज एकबारीय (once) सलाहकार को चैक करवाने हेतु उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज करवा सकता है अथवा विकल्प द्वितीय के अनुसार सम्बन्धित सेवा हेतु मूल दस्तावेज लेकर नागरिक सेवा केन्द्र में नियुक्त सलाहकार के माध्यम से ऑनलाईन (ONLINE) आवेदन कर सकते है। सलाहकार द्वारा आवेदक के दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर प्रकरण ऑनलाईन (ONLINE) दर्ज कर लिया जावेगा। नागरिक सेवा केन्द्र पर प्रकरण दर्ज होने के पश्चात प्रकरण में प्रगति एवं निस्तारण की समस्त स्थिति/जानकारी आवेदक को ऑनलाईन (ONLINE) ही उपलब्ध होगी।

इस सम्बन्ध में जोन उपायुक्तगण एवं नागरिक सेवा केन्द्र में पदस्थापित सलाहकार द्वारा उक्त सेवाओं के निष्पादन के लिए निम्न प्रक्रिया अमल में लाई जावेगी।

1. उक्त प्रक्रिया में आवेदक को सम्बंधित सेवा के मूल दस्तावेज लेकर नागरिक सेवा केन्द्र में सलाहकार के समक्ष उपस्थित होना होगा। सलाहकार सम्बन्धित दस्तावेजो की जॉच करेगा एवं उक्त दस्तावेजों के पूर्ण पाए जाने के उपरान्त ऑनलाईन (ONLINE) दर्ज किये जाने हेतु अनुमोदित करेगा।
2. प्रार्थी मूल दस्तावेजों को काउंटर पर स्कैन करवाकर पुनः सलाहकार के समक्ष उपस्थित होकर स्कैन किये दस्तावेजों की ऑनलाईन (ONLINE)सत्यता किये जाने के उपरान्त सलाहकार द्वारा मूल दस्तावेज आवेदक को लौटाकर प्राप्ति रसीद सुपुर्द करेगा। आवेदक को मोबाईल पर SMS द्वारा भविष्य में ऑनलाईन (ONLINE) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने हेतु यूजर पासवर्ड उपलब्ध करवाया जायेगा।
3. जविप्रा द्वारा वांछित सूचना/मांग ऑनलाईन पोस्ट की जावेगी जिसका जवाब आवेदक को ऑनलाईन देना होगा। आवेदन निस्तारण की अंतिम तिथि के पश्चात यदि वांछित सूचना का जवाब आवेदक के पास लम्बित रहता है तो आवेदक को अगले सात दिवस में जविप्रा द्वारा चाही गई सूचना/मांग का जवाब देना होगा। जवाब नहीं देने की स्थिति में आवेदक को अतिरिक्त 7 दिवस का समय दिया जावेगा । इसके बाद आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. अगर सेवा के लिये किसी प्रकार का भुगतान करना होगा तो वह भुगतान ऑनलाईन नेट बैंकिग, नेफ्ट/आर.टी.जी.एस. अथवा नगद भी जमा करवा सकता है। अगर आवेदक नगद राशि अथवा डीडी चालान के माध्यम से जमा करवाता है तो चालान को पोर्टल पर अपलोड करना होगा और यदि आवेदक राशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाता है तो उसे यूटीआर/इंस्ट्रूमेंट नम्बर की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी।

5. आवेदक द्वारा चाही गई सेवा के निस्तारण उपरांत जारी किया गया दस्तावेज अपलोड किया जाएग्रा जो आवेदक के डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो जावेगा एवं मूल प्रति पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेज दी जावेगी।
6. आवेदन के निस्तारण की सूचना एसमएमएस एवं ई–मेल के माध्यम से भी दी जावेगी।
प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र द्वारा उक्त सेवाओं के सुचारू संचालित रहने को सुनिश्चित किया जावेगा।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(ओ.पी.बुनकर)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वन संरक्षक जविप्रा, जयपुर।
2. पुलिस अधिक्षक जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना, वित्त, विधि, अभियान्त्रिकी–I,II) ।
4. अति. आयुक्त (प्रशासन–पूर्व,पश्चिम, भूमि, पीआरएन, पुनर्वास)
5. मुख्य नियंत्रक प्रावर्तन/संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता ।
6. सयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), सिस्टम मैनेजमेन्ट।
7. उपायुक्त जोन–1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, उपायुक्त जोन–पीआरएन(उत्तर–प्रथम,द्वितीय) / पीआरएन(दक्षिण–प्रथम,द्वितीय)/प्रशासन/स्टोर/जॉच/वाहन।
8. अधिशाषी अभीयन्ता (हाउसिंग)–जोन 1 से 14/पीआरएन(उत्तर–प्रथम,द्वितीय)/पीआरएन (दक्षिण–प्रथम,द्वितीय)
9. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (बी.पी./एल.पी./एम.पी.) जविप्रा।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, जविप्रा।
11. सिस्टम एनालिस्ट जविप्रा।
12. प्रथारी नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
13. समस्त सलाहकार, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
14. नोटिस बोर्ड, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
16. रक्षा पत्रावली।

(गिरि राज अग्रवाल)
संयुक्त आयुक्त
(सिस्टम मैनेजमेन्ट)